



सूचना का अधिकार मामला / समयबद्ध

भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली

03 दिसम्बर 2018

सं. ई/551/ 1 /2018-आरटीआई

सेवा में,

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत माँगी गई सूचना

महोदय,

कृपया प्रधानमंत्री कार्यालय को संबोधित दिनांक 29.10.2018 के अपने आरटीआई आवेदन का अवलोकन करें जिसे आरटीआई प्रकोष्ठ, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली को स्थानांतरित किया गया, तथा जिसे इस विभाग को 26 नवम्बर 2018 को प्राप्त हुआ।

2. आपके द्वारा बिंदु संख्या 3 पर मांगी गई जानकारी चीन के संदर्भ में शून्य है।

3. यदि आप इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप इस पत्र की प्राप्ति की तिथि से एक माह के भीतर डॉ अमित तेलंग, निदेशक (पूर्व एशिया) एवं अपीलीय प्राधिकारी, विदेश मंत्रालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110011 को अपील दायर कर सकते हैं।

भवदीय

(प्रसन्न श्रीवास्तव)

उप सचिव (चीन), एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. श्रीमती दीपा जैन, अवर सचिव (आरटीआई), विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली

स्पीड पोस्ट
सूचना का अधिकार

प्रधान मंत्री कार्यालय

साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली-110 011

संख्या आर.टी.आई./13126/2018-पीएमआर

दिनांक: 6/11/2018

मना में

विषय: सूचना का अधिकार के तहत आवेदन-पत्र
संबंध में


कृपया अपने दिनांक 29.10.2018 का आवेदन-पत्र, जो इस कार्यालय में दिनांक 1.11.2018 को प्राप्त हुआ, का ध्यान लें, जिसमें आपने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना हेतु अनुरोध किया है। बिंदु संख्या 5 के संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि आपका अनुरोध सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(च) के अंतर्गत आ गई सूचना की परिभाषा में नहीं आता है।

उपरोक्त के संबंध में, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रयोजनार्थ प्रधान मंत्री कार्यालय के प्रथम अपीलीय अधिकारी, श्री मैयड इकराम रिज़वी, निदेशक, प्रधान मंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली (☎: 2307 4072, e-mail: rti.appeal@gov.in) हैं।

आपके आवेदन पत्र को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत यथोचित कार्रवाई हेतु आवेदन-पत्र विभाग (बिंदु संख्या 3 एवं 6) एवं विदेश मंत्रालय (बिंदु संख्या 4), नई दिल्ली को अंतरित किया जा रहा है। कृपया आप इस संबंध में आगे सूचना हेतु उपरोक्त लोक प्राधिकरणों से सम्पर्क करें।

बिंदु संख्या 1 एवं 2 के संबंध में इस कार्यालय से संबंधित सूचना, यदि कोई है तो, कालान्तर में प्रदान कर दी जाएगी।

Sh. Rajesh Raut
Sr. Asst. (RMR/A)
dt: 12/11/18

भवदीय,

(प्रवीण कुमार)

अवर सचिव एवं
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
rti-pmo.applications@gov.in
☎: 2338 2590

प्रति

✓ मोडल आर.टी.आई. अधिकारी
आर्थिक कार्य विभाग
साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली

मोडल आर.टी.आई. अधिकारी
विदेश मंत्रालय
साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली

उपर्युक्त विषय पर श्री शैली खां से प्राप्त दिनांक 29.10.2018 का आवेदन-पत्र, जो इस कार्यालय में दिनांक 1.11.2018 को प्राप्त हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत यथोचित कार्रवाई हेतु अंतरित किया जा रहा है।

13176/2018

सेवा में,

माननीय प्रधानमंत्री जी/जनसूचना अधिकारी

भारत सरकार,

7, रेस कोर्स, नई दिल्ली

Sub: Application U/S 6-3(i)(ii)(iii) read with section 7 right to information Act 22 of 2005

2018

मान्यवर,

प्रार्थी एक समाजसेवी के रूप में आर0टी0आई0 कार्यकर्ता है तथा गत दस वर्षों से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत विभिन्न केन्द्रीय राज्य सरकार शासकीय एवं अर्द्धशासकीय विभागों से सूचना के अधिकार के अन्तर्गत आवश्यक सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन करता रहता है और लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखकर सूचना का अधिकारी कानून के तहत लोगों को जनसुविधाओं को जनता तक पहुंचाता रहता है।

चाही गयी जानकारी-

1. आप द्वारा प्रधानमंत्री मई 2014 में बनने के बाद विदेशी यात्रायें दिनांक 05.09.2018 तक कितनी यात्राएं की गयी हैं? जनहित में अवगत करायें।
2. इन यात्राओं में पैसा भारत सरकार का कितना रूपया खर्च आया? जनहित में जानकारी दें।
3. किन किन देशों में आप द्वारा भारत सरकार का पैसा उसकी आर्थिक स्थिति के लिए दिया गया या नहीं जनहित में अवगत करायें।
4. किन किन देशों को आप द्वारा या भारत के किसी मंत्रालय द्वारा दान हेतु या पैसा एवं और भी उपयोगी चीजों को जैसे पशुओं को या मशीनरियों व अन्य सामग्रियां दी गयीं या नहीं जनहित में सम्पूर्ण जानकारी दी जाये।

1-2
SO(Acharya)

3-6 → MEA

IPONO - 43 F 785852-101-

Page 1 of 2

4938299

88316
01/11/18
06/11/18
01/12/18

5. क्या आपके मंत्रालय में इन सब चीजों का रिकार्ड उपलब्ध है या नहीं अगर है तो सत्यापित सूची से हमें अवगत करायें। क्या मंत्रालय में इन सब चीजों व विदेशी यात्राओं का रिकार्ड आपके कार्यालय में उपलब्ध यदि है तो उसकी सत्यापित सूची से अवगत करायें।
6. क्या भारत सरकार द्वारा किसी विदेशी देश से आर्थिक मदद ली गयी या नहीं अगर ली गयी तो किन किन देशों से कितनी मदद ली गयी सम्पूर्ण जानकारी दी जाये।
 1. सभी प्रश्नों के उत्तर कृपया हिन्दी में देने की कृपा करें।
 2. अपनी अपील अथार्टी का नाम पद नाम व पता से भी अवगत कराने का कष्ट करें।
 3. वैधानिक शुल्क रू0 10/- (दस) पोस्टल आर्डर संख्या 42.E.7&58.52... संलग्न है।
 4. प्रार्थी का नाम
 5. पता -

दिनांक: 29/10/19

